न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 01/2011/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर — **प्रार्थी**

बनाम

1. राधादेवी पत्नी बंशीधर शर्मा निवासी मोदी स्कूल के सामने कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. केशरी देवी पत्नी सत्यप्रकाश जोशी जाति ब्राहमण निवासी पोद्दार स्कूल के पास नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
3. झाबरमल पुत्र दोलाराम (मृत)
   3/1 संतोष बेवा झाबरमल
   3/2 कविता पुत्री झाबरमल
   3/3 प्रमोद शर्मा पुत्र झाबरमल
   3/4 बबिता पुत्री झाबरमल
   3/5 सुमन पुत्री झाबरमल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़
4. महावीर प्रसाद पुत्र शिवनारायण ब्राहमण निवासी रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5. राजू उर्फ राजेन्द्र, बोदू, मुन्ना उर्फ मनीराम, पवन, भीलू उर्फ सज्जन, प्रहलाद पुत्रगण घासी व मनी बेवाह घासी, राकेश योगेश पुत्रगण सुरेश, किरण बेवाह सुरेश जाति ब्राहमण निवासी रहनावा
6. पंजाब नेशनल बैक शाखा खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ — **अप्रार्थीगण**

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री हरिश शर्मा, श्री भगवानसिंह धायल

दिनांकः—21.08.2019

निर्णय

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रहनावा की भूमि ख नम्बर 122/1 रकबा 1.07 है0 खसरा नम्बर 122/2 रकबा 3.09 है0, खसरा नम्बर रकबा 3.21 है0 खसरा नम्बर 122/3 रकबा 3.32 है0 वाके ग्राम रहनावा त लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमिया भूमि सुधार एवं 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारम्भ से

होकर पुजारी का नाम भी साथ गलत रूप से दर्ज कर दिया गया । सवंत् 2020 तक भूमि मन्दिर के खाते में ही अंकित थी, जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 के दौरान खातेदार का अंकन नही रहा केवल कृषक का नाम ही अंकित किया गया। जो संवत् 2036 तक रही। जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में खातेदार मन्दिर के स्थान पर खसरा नम्बर 122/3 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा घासी पुत्र खेमचन्द, 122/2 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 122/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा दौला पुत्र खेमचन्द खसरा नम्बर 123 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा श्योनारायण पुत्र खेमचन्द ब्राहमण के नाम गलत रूप से अंकित हो गई। घासी व श्योनारायण के देहान्त पर उनके वारिसान के नाम अंकित हो गई। चुंकि आर.टी. एक्ट 1955 के अनुसार मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है। उसकी खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है जैसा कि आर.टी.एक्ट की धारा 46 में प्रावधान एवं व्यवस्था की गई है। खातेदार दौला के स्वर्गवास पर भूमि खसरा नम्बर 122/1, 122/2 नामान्तकरण संख्या 551 दिनांक 19.02.1997 के द्वारा वारिसान कुनणी व झाबर के नाम अंकित हो गई । ना0स0 618 दिनांक 30.12.1999 द्वारा सुरेश के फौत होने पर इसके वारिसान राकेश, योगेश व किरण के नाम विरासत दर्ज कर दी गई। ना0स0 867 दिनांक 31.01.2008 के द्वारा कुनणी की विरासत दर्ज कर दी गई। झाबर द्वारा विक्रय करने पर ना0स0 870 दिनांक 09.07.2008 द्वारा राधादेवी पत्नी बंशीधर व केशरी देवी पत्नी सत्यप्रकाश के नाम अंकित हो गई व ना0सं0 892 दिनांक 20.10.2008 द्वारा रकबा 0.57 है0 झाबर पुत्र दौला पुनः खरीद कर उनके नाम अंकित हो गया। नामान्तकरण संख्या 424, 446, 551, 618, 867 के द्वारा भूमि की खातेदारी में वारिसान के नाम अंकित हुये है। ना0 सं0 870, 892 विक्रय से संबंधित है जो कानूनन गलत हैं और निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही शास्वत नाबालिग के अधिकार प्रभावित होते है। अतः रेफरेन्स आवेदन स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 424, 446, 551, 618, 870, 867, 892 को निरस्त कर भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी वाके देह के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत RRD-14.07.2015 पेज नम्बर 370 से 376 पेश किये। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायीक दृष्टांत में विवेचित प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी वाके देह बअहतमाम पुजारी खेमराम वल्द गनेशराम ब्राहमण सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016 में कृषक के कॉलम में घीसा पुत्र खेमचन्द, दौला पुत्र खेमचन्द व श्योनारायण पुत्र खेमराज कोम ब्राहमण सा.देह दर्ज रिकार्ड अंकित है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 तक अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 में खातेदार का नाम अंकित नहीं है एवं कृषक के कॉलम में दोला पुत्र खेमचन्द, श्योनारायण पुत्र खेमचन्द, घासी पुत्र खेमचन्द का नाम अंकित किया हुआ है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में खातेदार मन्दिर के स्थान पर खसरा नम्बर 122/3 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा घासी पुत्र खेमचन्द, 122/2 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 122/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा दौला पुत्र खेमचन्द, खसरा नम्बर 123 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा श्योनारायण पुत्र खेमचन्द ब्राहमण के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 424 व 446 के द्वारा घासी व श्योनारायण के देहान्त पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 551 के द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण संख्या 618 के द्वारा सुरेश के वारिसान के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 870 मुताबिक विक्रय पत्र के भूमि खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 122/2 रकबा 3.09 है0 राधा देवी पत्नी बंशीधर व केशरी देवी पत्नी सत्यप्रकाश के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 867 के द्वारा कुनणी देवी बेवा दौला का स्वर्गवास होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व हक त्याग पत्र के आधार पर झाबरमल पुत्र दौला कौम ब्राहमण सा.देह के नाम से तस्दीक कर दिया गया। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 892 खातेदार राधा देवी ने अपने हिस्सा 1/2 में से 0.57 है0 बेचान करने पर झाबरमल पुत्र दौलाराम जाति ब्राहमण सा.देह के नाम से तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी वाके देह बअहतमाम पुजारी खेमराम वल्द गनेशराम ब्राहमण सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016 के मुताबिक बिना किसी आदेश के कृषक के कॉलम में घीसा पुत्र खेमचन्द, दौला पुत्र खेमचन्द व श्योनारायण पुत्र खेमराज कोम ब्राहमण सा.देह दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 तक अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 में खातेदार का नाम अंकित नहीं है एवं कृषक के कॉलम में दोला पुत्र खेमचन्द, श्योनारायण पुत्र खेमचन्द, घासी पुत्र खेमचन्द का नाम अंकित कर दिया गया जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में खातेदार मन्दिर के स्थान पर घासी पुत्र खेमचन्द, दौला पुत्र खेमचन्द व श्योनारायण पुत्र खेमचन्द ब्राहमण के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। खातेदार घासी व श्योनारायण फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 424 व 446 उनके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया। खातेदार दोला पुत्र खेमचन्द फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 551 दोला के जायन्दा पुत्र झाबर व पत्नी कुनणी के नाम तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात् खातेदार घासी के वारिस सुरेश के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 618 के द्वारा सुरेश के वारिसान के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 870 मुताबिक विक्रय पत्र के भूमि खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 122/2 रकबा 3.09 है0 राधा देवी पत्नी बंशीधर व केशरी देवी पत्नी सत्यप्रकाश के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 867 कुनणी देवी बेवा दौला का स्वर्गवास होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व हक त्याग पत्र के आधार पर झाबरमल पुत्र दौला कौम ब्राहमण सा.देह के नाम से तस्दीक कर दिया गया। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 892 खातेदार राधा देवी ने अपने हिस्सा 1/2 में से 0.57 है0 बेचान करने पर झाबरमल पुत्र दौलाराम जाति ब्राहमण सा.देह के नाम से तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी वाके देह बअहतमाम पुजारी खेमराम वल्द गनेशराम ब्राहमण सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत सम्वत् 2037 से 2040 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोदभुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.07 है0 खसरा नम्बर 122/2 रकबा 3.09 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 3.21 है0 खसरा नम्बर 122/3 रकबा 3.32 है0 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 424, 446, 551,

मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किय
जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/19

(जयप्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official